न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –69/22(2022/134)
अनवान : –
रामचन्द्र पुत्र श्री मनीराम जाति मेघवशी आयु 42 वर्ष निवासी गान्धीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार (राजस्व) भादरा।
प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :– श्री लीलाधर अग्रवाल वादी
श्री राज पैरोकार प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 06/5/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 8 एस डी आर पटवार हल्का गान्धीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ के वर्तमान खाता संख्या 51/54 के मु. नं. 46 किला नं. 11, 12, 19 ता 22, मु. नं. 47 के किला नं. 7, 8,13 ता 18,23 ता 25, मु. नं. 56 के किला नं. 3,4,8,9, कुल खसरा 21 कुल क्षैत्रफल 5.313 हैक्टयर सामिल खाते की राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

यह कि वादी का नाम राशनकार्ड, पहचानपत्र, आधारकार्ड, बच्चो की मार्कशीट, बिजली पानी का बिल व अन्य दस्तावेजो मे वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र मनीराम दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड मे रिछपाल दर्ज है। अलग अलग नाम दर्ज हो जाने के कारण वादी उक्त कृषि भूमि पर अपने हिस्सा पर लोन, व सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायताओं से वंचित हो जाता है। व वादी के पुत्रो, पुत्रियों के नाम के आगे मार्कशीट मे भी रामचन्द्र दर्ज होने के कारण उन्हे भी परेशानी भुगतनी पड़ती है। वादी राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर रामचन्द्र करवाना चाहता है।

यह कि वादी का नाम रिछपाल हटवाने व रामचन्द्र दर्ज करवाने का तहसीलदार भादरा से निवेदन किया लेकिन रिकार्ड को दुरूस्त नही किया गया व धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट मे प्रार्थना पत्र श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत करने की हिदायत दी। राजस्व रिकार्ड को सही रखने का कर्तव्य लैण्ड होल्डर का है। तथा

खातेदार काश्तकार का यह अधिकार है कि वह अपने नाम आदि की लिपिकीय गलतियो को सही करवाये। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड मे वादी रामचन्द्र का नाम अन्य दस्तावेजो के आधार पर खातेदारी कृषि भूमि मे रिछपाल के स्थान पर रामचन्द्र दुरूस्त किया जावे। जिससे सभी प्रकार के दस्तावेजो मे नाम की समानता हो जावे व वादी को परेशानी का सामना नही करना पड़े। उक्त दुरूस्ती किये जाने मे राजस्थान सरकार को किसी प्रकार की कोई परेसानी नही होती है। तथा रिछपाल के अलावा रामचन्द्र नाम की पुत्र सन्तान मनीराम के उत्पन्न नही हुई। व जमांबन्दी सं. 2074 से 2077 शामिल प्रार्थना पत्र है।

यह कि नाम दुरूस्त नही किये जाने के कारण वादी को नापूरा होने वाला नुकसान होता है। व वादी के हितो की भरपाई नही हो पाती है। व कई प्रकार की समस्याऐ भविष्य मे होकर खड़ी हो जायेगी। इसलिए नाम दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 की ओर से जवाब पेश किया गया। तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट दिनांक 01.11.2021 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार रिछपाल एवं रामचन्द्र एक ही व्यक्ति के नाम है। तथा सहखातेदार ताराचन्द का पेश किया, जिसमें ताराचन्द ने रिछपाल व ताराचन्द एक ही व्यक्ति के नाम है।

साक्ष्य वादी में वादी रामचन्द्र पुत्र श्री मनीराम जाति मेधवशी आयु 42 वर्ष निवासी गान्धीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र पेश कर बयान करवाये व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित करवायें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा 8 एस डी आर पटवार हल्का गान्धीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ के वर्तमान खाता संख्या 51/54 के मु. नं. 46 किला नं. 11, 12, 19 ता 22, मु. नं. 47 के किला नं.

7, 8,13 ता 18,23 ता 25, मु. नं. 56 के किला नं. 3,4,8,9, कुल खसरा 21 कुल क्षैत्रफल 5.313 हैक्टयर सामिल खाते की राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। तथा वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे पटवारी हल्का द्वारा विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय रामचन्द्र के स्थान पर बोलते नाम रिछपाल दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 8 एस डी आर पटवार हल्का गान्धीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ के वर्तमान खाता संख्या 51/54 के मु. नं. 46 किला नं. 11, 12, 19 ता 22, मु. नं. 47 के किला नं. 7, 8,13 ता 18,23 ता 25, मु. नं. 56 के किला नं. 3,4,8,9, कुल खसरा 21 कुल क्षैत्रफल 5.313 हैक्टयर सामिल खाते की राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। तथा वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे पटवारी हल्का द्वारा विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय रामचन्द्र के स्थान पर बोलते नाम रिछपाल दर्ज कर दिया गया है, जिसमें वादी रिछपाल का नाम कलमजन किया जाकर रामचन्द्र दर्ज किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/5/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

पर्चा डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 —69 / 22(2022 / 134)

अनवान : —

रामचन्द्र पुत्र श्री मनीराम जाति मेधवशी आयु 42 वर्ष निवासी गान्धीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ —वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री लीलाधर अग्रवाल व राज पैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 एस डी आर पटवार हल्का गान्धीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ के वर्तमान खाता संख्या 51 / 54 के मु. नं. 46 किला नं. 11, 12, 19 ता 22, मु. नं. 47 के किला नं. 7, 8,13 ता 18,23 ता 25, मु. नं. 56 के किला नं. 3,4,8,9, कुल खसरा 21 कुल क्षैत्रफल 5.313 हैक्टयर सामिल खाते की राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, जिसमें वादी रिछपाल का नाम कलमजन किया जाकर रामचन्द्र दर्ज किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/5/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शंकुतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)